न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 09/2023 अपील (GCMS/2023/354)
पंजीयन दिनांक - 05.10.2023
आदेश दिनांक - 20.08.2024

श्री कैलाश चन्द्र पिता घीसालाल शर्मा, निवासी खुरा बाजार बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री दिलीप सुथार - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक न्याय/21-1 ( )2023/139 दिनांक 02.08.2023

निर्णय

दिनांक 20.08.2024

यह अपील अपीलर्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक न्याय/21-1 ( ) 2023/139 दिनांक 02.08.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री कैलाश चन्द्र पिता घीसालाल शर्मा, निवासी खुरा बाजार बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ द्वारा स्वयं को डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) से जारी .32 रिवाल्वर का लाईसेंस नम्बर 1965 एनएचएफ को नवीनीकरण किये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2022 को जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में स्वयं के अनुसार वर्णित तथ्यों एवं आयुध नियम, 2016 के नियम 24 अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण के उपनियम 24 (5) के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा

अनुज्ञप्ति के समाप्त होने तथा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की तारीख के बीच की अवधि काफी अधिक होने को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र निरस्त किया गया।

- उक्त आदेश से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष दिनांक 29.08.2023 को प्रस्तुत की। उक्त अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ से अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता दिनांक 12.08.2024 को उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई।

- **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि** अपीलांट के पास डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) से जारी .32 रिवाल्वर का लाईसेंस नम्बर 1965 एनएचएफ का वैध लाईसेंस था, जिसे नवीनीकरण किये जाने का प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) से लाईसेंस नवीनीकरण बाबत सूचना चाहे जाने पर डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) ने पत्रांक दिनांक 04.04.2005 से अवगत कराया कि उक्त लाईसेंस जारी नही किया गया है, तथा व फर्जी है, जिसे तुरंत सिज करने हेतु थाना, बेगूं को निर्देशित किया गया। थाना बेगूं द्वारा इस आशय की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अपीलांट के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 467, 468, 471 एवं 420 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाकर अपीलांट की रिवाल्वर वजे सबुत जब्त की गई। दौराने तफ्तीश डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) से रिकार्ड प्राप्त किया जाकर बयाद लेखबद्ध किये गये तो पाया गया कि उक्त लाईसेंस डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) कार्यालय के रजिस्टर के S. No. 369Vo/Nx02 से अपीलांट के नाम से जारी किया हुआ है, किन्तु गर्वमेंट के बिना आज्ञा से जारी होने से डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) के कार्यालय से संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही दीमापुर ज्युडिसरी कोर्ट में जारी होना पाया गया है, इस आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में थाना, बेगूं द्वारा नतीजा आखरी एफआर अदम वकुआ स्वीकृत किये जाने हेतु एफआर न्यायालय अति. न्यायिक मजि. बेगूं के समक्ष प्रस्तुत हुई। दिनांक 30.11.2016 से डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) द्वारा उक्त लाईसेंस के संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट की रिवाल्वर भारत सरकार की रजिस्टर्ड फर्म गन फेक्ट्री, कानपुर से राशि जमा कराकर प्राप्त की गई तथा अपीलांट का लाइसेंस भी वैध पाया गया है तथा उसी के आधार पर न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजि. बेगूं के द्वारा उक्त रिवाल्वर अपीलांट को

सिपुर्द करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त समस्त दस्तावेज प्राप्त कर डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलांट को नवीन मूल लाईसेंस जारी किया गया। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

- **विद्वान राजकीय पेरोकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।**

- **हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस, अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।**

- उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2023 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 29.08.2023 को पेश की जाकर अंदर मयाद पेश है।

- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी श्री कैलाश चन्द्र पिता घीसालाल शर्मा, निवासी खुरा बाजार बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ द्वारा अपीलार्थी श्री कैलाश चन्द्र पिता घीसालाल शर्मा, निवासी खुरा बाजार बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ द्वारा स्वयं को डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) से जारी .32 रिवाल्वर का लाईसेंस नम्बर 1965 एनएचएफ को नवीनीकरण किये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2022 को जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में स्वयं के अनुसार वर्णित तथ्यों एवं आयुध नियम, 2016 के नियम 24 अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण के उपनियम 24 (5) के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अनुज्ञप्ति के समाप्त होने तथा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की तारीख के बीच की अवधि काफी अधिक होने को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र निरस्त किया गया।

- अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञापत्र स्थानांतरण हेतु प्रमुख कारण अंकित किया कि दिनांक 30.11.2016 को " Asst. Commissioner of Police (SB) For Commissioner of PoliceDimapur Nagaland ने Verification report and NOC of Arms Licence No. 1965 NHF 32 NP का एक Certificate District Magistrate, Chittorgarh को प्रेषित किया गया जिसकी एक प्रति प्रार्थी को भी प्राप्त हुई जिससे स्पष्ट है कि रिवाल्वर प्रार्थी द्वारा भारत सरकार की रजिस्टर्ड फर्म गन फेक्ट्री, कानपुर से

राशि जमा कराकर प्राप्त की गई तथा मेरा लाईसेंस वैध पाया गया है। प्रार्थी द्वारा माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजि. बेगूं के समक्ष दिनांक 27.07.2017 को रिवाल्वर प्रार्थी को सिपुर्द किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे विस्तृत सुनवाई एवं दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने के पश्चात दिनांक 10.12.2019 को उक्त रिवाल्वर प्रार्थी को न्यायालय द्वारा सिपुर्दगी पर शर्तो की पालना कराते हुए सिपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने पर उक्त रिवाल्वर को थाना, बेगूं से प्रार्थी को प्राप्त करने के आदेश प्रदान किया गया। उक्त समस्त दस्तावेज प्राप्त कर डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रार्थी का नवीन मूल लाईसेंस जारी किया गया। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 1965 एनएचएफ 0.32 एनपी बोर रिवाल्वर का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेश के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में स्वयं वर्णित किया गया कि दिनांक 21.05.2005 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ प्रार्थी के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट यह निर्देशित करते हुए दर्ज करवाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे कि मुझ प्रार्थी के नाम पर डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) द्वारा जारी आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 1965 एनएचएफ .32 एनपी बोर रिवाल्वर का जारी किया गया, जो मुझ प्रार्थी द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकरण किया जाकर सूचना जिला कार्यालय से डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) को देने पर उनके द्वारा दिनांक 04.04.2005 से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उक्त लाईसेंस जारी नहीं किया गया है तथा व फर्जी है, जिसे तुरंत सीज किया जावें। उक्त क्रम में थाना बेगूं द्वारा इस आशय की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 252/2005, दिनांक 07.08.2005 कायम की जाकर प्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 467, 468, 471 एवं 420 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त प्ररकण में दौराने तप्तीश प्रार्थी की रिवाल्वर का लाईसेंस रिहायशी मकान बेगूं से वजे सबूत जब्त किये गये तथा दौराने तप्तीश डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) के बयान भी लेखबद्व किये गये तो पाया गया कि लाईसेंस नम्बर 1965 एनएचएफ .32 बोर रिवाल्वर डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) के कार्यालय रजिस्टर के S. No. 369Vo/Nx02 से प्रार्थी के नाम जारी हुआ है, किन्तु गर्वमेंट के बिना आज्ञा के जारी हो जाने से डिप्टी कमिश्नर दीमापुर (नागालैण्ड) के कार्यालय के संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही दीमापुर ज्यूडिसरी कोर्ट में जारी होना पाया गया तथा आयुध नियम, 2016 के नियम 24 अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण के उपनियम 24 (5) के अनुसार "अनुज्ञापन

प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति के नवनीकरण के लिए किसी आवेदन पर उस समय विचार कर सकेगा, यदि सके समाप्त होने की तारीख और आवेदन की तारीख के बीच की अवधि उसकी राय में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए असम्यक रूप से दीर्घ नहीं है और सभी नवीनीकरण फीसों का संदाय कर दिया गया है, अन्यथा ऐसे आवेदक को नई अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन के रूप में माना जाएगा।"

- उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी सवयं के अनुसार वर्णित तथ्यों एवं आयुध नियम, 2016 के नियम 24 अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण के उपनियम 24 (5) के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अनुज्ञप्ति के समाप्त होने तथा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की तारीख के बीच की अवधि काफी अधिक होने से जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया उसमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रकट नही होती है, उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत उचित है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ के आदेश में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से **अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है** और **जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2023 यथावत रखा जाता है।** पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर